342
6/9/17 II

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 27, शुक्रवार, शाके 1939–अगस्त 18, 2017
Sravana 27, Friday, Saka 1939–August 18, 2017

भाग 6 (ख)
जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय जोधपुर नगर निगम
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 9, 2017

संख्या 1716 :–राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर नगर निगम एतद्द्वारा जोधपुर नगर निगम द्वारा (डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के नियंत्रण व नियमन एवं आवारा पशु नियंत्रण) उपविधियाँ विनियम 2015, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

जोधपुर नगर निगम द्वारा (डेयरी, पशुघर एवं अस्तबल आदि के नियंत्रण व नियमन एवं आवारा पशु नियत्रंण) उपविधियाँ विनियम 2015 के नियम 3 के उपनियम 4) को निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

4) कोई भी व्यक्ति पशुगृह के बाहर, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पर, नगर निगम की जमीन पर पशु नही रखेगा। यह पूर्णतः निशेध होगा तथा उल्लंघन पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा पशुओं को पकड़कर नगर निगम पशुगृह भेजा जा सकेगा। पशुओं का शहर सीमा (सड़क, मुख्य मार्ग एवं सार्वजनिक स्थान) में आवारा विचरण निशेध होगा। पशु गृह में शहर में विचरण करते हुए पशुओं को पकड़कर रखा जाएगा। नगर निगम जोधपुर द्वारा पकड़े गये पशुओं को निम्नप्रकार से शास्ति आरोपित कर छोड़ा जा सकेगा।

पशु	अधिकतम 30 दिवस तक शास्ति की राशि
बड़े पशु की शास्ति	5000/– रुपये
छोटे पशु की शास्ति	2500/– रुपये
बड़े/छोटे पशुओं का व्यय प्रभार	10/– रुपये प्रतिदिन

- 30 दिवस की अवधि पश्चात् पकड़े गये पशु नही छोड़े जायेंगे तथा उन्हें नियमानुसार नीलाम करने अथवा अन्यत्र स्थान भेजने की कार्यवाही अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
- शहर में सार्वजनिक स्थानों पर रिजका/हरा एवम् सूखा चारे की बिक्री बिना नगर निगम अनुज्ञप्ति के निषेध होगी। बिना अनुज्ञप्ति बेचान पर अनुज्ञाप्राधिकारी द्वारा 1000/– रुपये तक शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

घनश्याम औझा,
महापौर,
नगर निगम, जोधपुर।

ओमप्रकाश कसेरा,
आयुक्त,
नगर निगम, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।